न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट, हरिद्वार।
पीठासीन अधिकारी : विक्रम (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 83 सन् 2022
सरकार बनाम अकरम

अधिवक्ता अभियोजन : श्री राजकुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, रूड़की,
अधिवक्ता अभियुक्त : श्री अमर पाल सिंह, एडवोकेट।

दिनांक : 16–07–2022

प्रार्थी/अभियुक्त अकरम मलिक पुत्र अशफाक मलिक निवासी ग्राम भरतपुर बिसौली, थाना बिसौली, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 532 सन् 2022 अन्तर्गत धारा 8/21 ''स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम'' थाना गंगनहर, जिला हरिद्वार के मामले में जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, रूड़की एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 13–07–2022 को समय 19:34 बजे स्थान नहर पटरी गायत्री मन्दिर से 100–150 मीटर नये पुल की तरफ थाना क्षेत्र गंगनहर, जिला हरिद्वार में उपनिरीक्षक नवीन कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा अभियुक्त को पकड़ा एवं अभियुक्त की जामातलाशी से उसकी पीठ पर टंगे पीट्ठू बैग में से एक प्लास्टिक की सफेद पारदर्शी पन्नी के अन्दर काले रंग का गीलानुमा पदार्थ नाजायज वजन 1 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई।

प्राथी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। पुलिस द्वारा धारा 50 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। तहरीर व फर्द बरामदगी में किसी भी तलाशी नियमों का कोई पालन नहीं किया गया है। सभी कार्यवाही फर्जी तरीके से नियम विरूद्ध थाने पर बैठकर की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14–07–2022 से जेल में निरूद्ध है। जमानत प्रार्थना पत्र के अन्त में याचना की गयी कि उसे दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाये।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया कि के प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से 1 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

सुना तथा पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के ऊपर यह आरोप है कि दिनांक 13–07–2022 को समय 19:34 बजे स्थान नहर पटरी गायत्री मन्दिर से 100–150 मीटर नये पुल की तरफ थाना क्षेत्र गंगनहर, जिला हरिद्वार में पुलिस बल के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त अकरम मलिक को 1 किलोग्राम अवैध अफीम के साथ पकड़ा था। पुलिस प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त के द्वारा बरामद अफीम बेचने हेतु अपने पास अपने कब्जे में रखी हुई थी। अभियुक्त से बरामद अफीम की मात्रा अल्प मात्रा से काफी अधिक है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का एवं स्वस्थ समाज के हितों के प्रतिकूल है। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाता है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त अकरम मलिक पुत्र अशफाक मलिक उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अकरम मलिक पुत्र अशफाक मलिक उपरोक्त का हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति अविलम्ब अभियुक्त को बजरिये संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से तत्काल निःशुल्क प्रेषित की जाये।

जमानत निरस्तीकरण आदेश एन0जे0डी0जी0 पर अपलोड किया जाये।

(विक्रम)
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट,
रूडकी, जिला हरिद्वार।